e[;e=h tu ou ;kstuk

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार

futh Hkwfe ij o{kkjksi.k çkRlkgu dh ;kstuk

झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाया जाना आवश्यक है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ–साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव भी कम होगा। इन उद्देश्यो की पूर्ति हेतु राज्य में ''मुख्यमंत्री जन वन योजना'' लागू की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपनी निजी भूमि पर (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर–रेखिक वनरोपण) वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाएगा। प्रोत्साहन–स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत अंश की प्रर्तिपूर्ति लाभान्वित को की जायेगी।

2- ;kstuk ds mís';

;kstuk ds fuEufyf[kr mís'; gS&

2-1 प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना।

2-2 वृक्षारोपण के माध्यम से भू–जल संरक्षण करना।

2-3 निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना।

2-4 किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करना।

2-5 राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा देना।

3- ;kstuk ds ?kVd

योजना के घटक निम्नलिखित हैंः–

3.1 इस योजना के अन्तर्गत ब्लॉक वृक्षारोपण (Block Plantation) एवं खेत की मेड़ पर रैखिक वृक्षारोपण किया जा सकेगा।

3.2. कार्य विवरणी–योजना का कार्यान्वयन तीन वर्षों में सम्पन्न होगा, जिसमें वर्षवार लाभुक द्वारा वृक्षारोपण संबंधी निम्न कार्य संपादित किये जायेंगे :–

(क) प्रथम वर्ष –गड्ढा खुदाई, सुरक्षा घेरान बनाना, पौधा रोपण, दो कोड़नी निकौनी, उर्वरक/जैविक खाद/ कीटनाशक देना, पटवन एवं सुरक्षा आदि।

(ख) द्वितीय वर्ष– एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक, पटवन कार्य एवं सुरक्षा कार्य।

(ग) तृतीय वर्ष – एक कोड़नी निकौनी (फलदार प्रजाति के पौधों के लिए दो कोड़नी निकौनी), उर्वरक, पटवन कार्य, घेरान मरम्मति एवं सुरक्षा कार्य।

3.3 दो पौधों के बीच दूरी–निजी भूमि पर काष्ठ प्रजाति के रोपण हेतु 30cm x 30cm साईज के गढढे खोदे जायेगें तथा दो गढढ़ो के बीच 3m x 3m तथा मेड़ पर 2m x 2m दो पौधों के बीच की दूरी रखी जायेगी। फलदार पौधे के लिए 60cm x 60cm साईज के गड्ढे खोदे जायेंगे एवं 5m x 5m दो पौधों के बीच की दूरी रखी जायेगी। एक एकड़ में काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे, फलदार प्रजाति के 160 पौधों का रोपण किया जा सकेगा। मेड़ पर काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे लगाने पर इसे एक एकड़ के समतुल्य माना जायेगा। मेढ़ पर फलदार पौधे नहीं लगाये जायेंगे।

3.4 वृक्षारोपण हेतु निर्धारित प्रजातियाँ—इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण अपनी निजी भूमि पर काष्ठ प्रजातियों यथा शीशम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल यूकेलिप्टस, एकेसिया एवं फलदार प्रजातियाँ यथा कलमी आम, कटहल, अमरूद, आवंला, बेल एवं लीची का वनरोपण कर सकेंगे। कालान्तर में यदि इन प्रजातियों से अतिरिक्त अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण किया जाना महसूस किया जाता है, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के अनुमति से अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा सकेगा।

3.5 वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता—विभागीय पौधशाला एवं उसमें उपलब्ध पौधों की पूर्ण सूची विभागीय वेबसाईट Forest.Jharkhand.Gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी। लाभुकों को विभागीय पौधशाला में उपलब्ध पौधों की आपूर्ति की जा सकेगी अथवा लाभुक पौधों की आपूर्ति अन्य श्रोतों से भी कर सकेंगें। फलदार पौधे एवं कलमी फलदार पौधे भारत सरकार के संस्थान HARP PALANDU, राज्य सरकार की पौधशालाओं से सरकार/संस्थान द्वारा निर्धारित विक्रय दर पर भी क्रय किये जा सकते हैं।

3.6 वृक्षारोपण किये गये पौधों की सुरक्षा का दायित्व लाभुक का होगा।

3.7. पात्रता – इस योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा एक लाभुक के लिये एक एकड़ एवं अधिकतम सीमा 50 एकड़ होगी।

4- ykHkqdk dk n; ikRlkgu jkf'k

4.1. इस योजना हेतु स्वीकृत वनरोपण दर के अनुरूप लागत राशि की 50 प्रतिशत राशि लाभुक को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

4.2 विभाग द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण की व‍ृ्मान दर के आधार पर अनुमान्य प्रति एकड़ फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु निम्न व्यय होगा :–

Øekd	o{kkjksi.k	o'kkokj çLrkfor 0;; ¼jkf"k :Œ e½			dqy
		çFke o'k	f)rh; o'k	r`rh; o'k	
1	फलदार प्रजाति	22595.00	3149.00	3618.00	29362.00
2	काश्ठ प्रजाति	18284.00	5925.00	6487.00	30696.00

काष्ठ प्रजाति के पौधे पर प्रति पौधा 69.00 रू० तथा फलदार पौधों पर 192.00 रूपये कुल प्राक्लित व्यय होगा।

4-3- mijkDr 0;; dk vkdMk dk vk/kkj ij

¼d½ vxj ik/kk dh vkifrl ou foHkkx }kjk dh tk;xh rk bl ;ktuk dk v/khu ykHkqd dk fuEuor ikRlkgu jkf'k n; gkxh %&

;ktuk o'k	çfr ik/kk n; çkRlkgu jkf"k ¼:Œ e½	
	dk'B çtkfr	Qynkj çtkfr
प्रथम वर्श	11.00	46.00
द्वितीय वर्श	7.00	10.00
तृतीय वर्श	7.00	11.00
dqy jkf"k	**25-00**	**67-00**

¼[k½ vxj ykHkkFkhZ }kjk Lo;a ik=k dh 0;oLFkk dh tkrh gS rks ykHkkFkhZ dks fuEuor ikSf"Vdrk jkf'k
n; gksxh %&

;kstuk o'kZ	çfr ik=k n; çkSf"Vdrk jkf"k ¼:Œ esa½	
	dk'B çtkfr	Qynkj çtkfr
प्रथम वर्श	11.00	46.00
द्वितीय वर्श	7.00	10.00
तृतीय वर्श	7.00	11.00
dqy jkf"k	**25-00**	**67-00**

4-4- LFkkfir thfor ikS/kksa dh la[;k ds vk/kkj ij izfr o"kZ ykHkkFkhZ dks fu/kkZfjr ikSf"Vdrk jkf'k dh izfriwfrZ dh tk;sxhA

4-5- foHkkx }kjk bl ;kstuk gsrq oujksi.k nj dk fu/kkZj.k izfr o"kZ fd;k tk,xk ,oa rnuqlkj ykHkkFkhZ dks n; ikSf"Vdrk jkf'k dk fu/kkZj.k gksxkA

5- ikSf"Vdrk jkf'k izkIr djus gsrq vkosnu dh izfØ;k

5-1 foHkkx }kjk lekpkj i=ksa esa dUnh;d`r foKkiu izdkf'kr djkdj bl ;kstuk ds vUrxZr ikSf"Vdrk jkf'k izkIr djus gsrq ykHkkfUorksa ls fofgr iii= ¼vuqyXud&1½ esa vkosnu vkef=r fd;s tk;sxsA ykHkkFkhZ dks vkosnu i= ds lkFk fuEu dkxtkr layXu djuk vko';d gksxk %&

¼i½ Hkwfe LokfeRo ,oa dCtk ds lEcU/k esa vpydkfèkdkjh dk izfrosnu ¼vuqyXud&2½

¼ii½ vuqcU/k i= ¼vuqyXud&3½

¼iii½ ykHkkFkhZ ds cSad ikl cqd dh v|ru Nk;kizfr ftlesa ikSf"Vdrk jkf'k izkIr dh tkuh gSA

5-2 bPNqd 0;fDr fofgr ii= ¼vuqyXud l0&1½ esa viuk ftys ds ou e.My inkfèkdkjh ¼vuqyXud&4 esa mYysf[kr½ ds dk;kZy; esa lekpkj i=ksa esa bl ;kstuk gsrq foKkiu izdk'ku ds mijkar fu/kkZfjr le;lhek esa vkosnu dj ldsxkA foKkiu izfr o"kZ flrEcj ekg esa LFkkuh; lekpkj i=ksa esa izdkf'kr fd;k tk,xkA

5-3 ,d ls vfèkd 0;fDr feydj Hkh bl ;kstuk ds vUrxZr esM+ ds fdukjs ¼jSf[kd o{kkjksi.k½ dk;Z dj ldrs gSA

5-4 vkosnu izfØ;k ds rhu fnuks ds vanj ou e.My inkfèkdkjh }kjk foHkkxh; **MIS application** ij viyksM fd;k tk;sxkA vii.kZ vkosnu izkIr gksus ij vkosnu vLohdkj djrs gq, lwpuk vkosnd dks nh tk,xhA

6- p;u dh izfØ;k %

6-1 lEcfU/kr ou e.My inkfèkdkjh dafMdk 5-1 esa mYysf[kr dkxtkrksa dh tkap djsxs ,oa ykHkkFkhZ dk p;u dj lwph cuk;sxsA

6-2 mu 0;fDr;k dk ikFkfedrk nh tk;xh tk 1 ,dM ¼dk"B itkfr;k 445] Qynkj o{k 160 rFkk jkf[kd o{kkjki.k e 445 ikèk½ l vfèkd Hkfe e Cykd o{kkjki.k d bPNd gkxA

6-3 foHkkx }kjk fuèkkfjr y{; l vfèkd vkonu ikIr gku ij vkondk dh mifLFkr e ykVjh fudky dj ykHkdk dk p;u fd;k tk;xkA

6-4 p;fur ykHkdk dh lph foHkkxh; oclkbV ij viykM dh tk,xh rFkk lcfèkr ou ieMy inkfèkdkjh }kjk ykHkd dk lfpr fd;k tk;xkA

6-5 lcfèkr ou ieMy inkfèkdkjh }kjk ieMyokj p;fur ykHkdk dh lph lcfèkr vij ièkku e[; ou lj{kd ,o fun'kd] ilkj okfudh@e[; ou lj{kd] fo'o [kk| dk;Øe dk o{kkjki.k gr ikèkk dh 0;oLFkk dju gr if"kr dh tk;xhA

6-6 foHkkx }kjk bl ;ktuk dk ykHkdk dk i.k fooj.kh ftle o{kkjki.k LFky d ft;k dkjfMuV rFkk QkVkxkQ Hkh 'kkfey gkx] ftykokj lèkkfjr dh tk;xhA

7- ykHkd dk dh tku okyh ikRlkgu jkf'k d Hkxrku dh ifØ;k

7-1 ykHkdk }kjk futh Hkfe ij fd; x; o{kkjki.k d fy; ikRlkgu jkf'k ikIr dju gr vuyXud l0&4 e of.kr inkfèkdkjh d dk;ky; e mÙkjthfork d vkèkkj ij nkok ekg uoEcj e fd;k tk;xkA nkok i=i= vuyXud&5¼d½ ,o 5¼[k½

7-2 ou ieMy inkfèkdkjh }kjk lE;d tkpkijkUr ekg fnlEcj e mldk lR;kiu djd tuojh ekg e mRrjthfork d vkèkkj ij ikRlkgu jkf'k dk Hkxrku ykHkd d cd [kkr e lhèk gLrkUrfjr fd;k tk;xkA

7-3 ;fn iFke l f}rh; o"k dh fdLr d :i e f}rh; i{k dk vfrjfd jkf'k dk Hkxrku gk x;k gkxk rk vfre fdLr dh jkf'k Hkxrku djr le; iol e Hkxr; ,lh jkf'k dk lek;ktu dju d i'pkr gh vfre Hkxrku fd;k tk;xkA

7-4 ikRlkgu jkf'k dk Hkxrku ykHkdk d cd [kkr d ekè;e l fd;k tk;xkA lcfèkr ou ie.My infkèkdkjh l fuèkkfjr i=i= e lR;kiu d mijkUr Hkxrku gr Lohdfr ikIr gku ij lhèk lcfèkr vkond d cd [kkr e jkf'k gLrkrfjr dj nh tk;xhA

8- foHkkxh; inkfèkdkfj;k@depkfj;k d dÙk0; ,o nkf;Ro

8-1 ou foHkkx d lcfèkr inkfèkdkfj;k@depkfj;k dk nkf;Ro bPNd 0;fDr;k l vkonu i= ikIr djuk] ykHkdk dk p;u djuk] ekx tku ij ikèk miyCèk djkuk] vko';d rduhfd tkudkjh inku djuk] ikRlkgu jkf'k d nkok d lR;kiu i'pkr fu;ekulkj n; ikRlkgu jkf'k dk Hkxrku djuk rFkk ;ktuk dh lQyrk gr mUg ekxn'ku inku dju rd lhfer gkxkA

8-2 iR;d o"k bl ;ktuk d vUrxr ykHkd 0;fDr;k dh fooj.kh ¼vuyXud&6½ foHkkxh; oclkbV ij viykM dh tk;xhA

9- ;ktuk e yxk; x; o{kk dk LokfeRo

^^tu&ou ;kstuk^^ ds rgr mxk;s x;s o{kksa dk i.k LokfeRo lacfèkr ykHkqd esa fufgr gksxkA o{kksa ds ikru ds le; lacfèkr ou iaeMy inkfèkdkjh }kjk fuèkkZfjr le; lhek ds vUnj ikru dh vuqefr ,oa ifjogu vuqKk i= fuxZr fd;k tk;sxkA blds dk;ZU gsrq foHkkx bl ;kstuk esa fd;s x;s o{kkjksi.k dk MkVkcsl laèkkfjr djsxkA

vuqyXud&1

vkosnu i=

eq[;ea=h tu&ou ;kstuk ¼futh Hkwfe ij o{kkjksi.k izksRlkgu ;kstuk½ vrxZr o{kkjksi.k djus gsrq vkosnu i= dk izk:i

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
प्रादेशिक वन प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल /
विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल............................

विषय :– मुख्यमंत्री जन–वन योजना (निजी भूमिपर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन

मैं निजी भूमि पर वृक्षारोपन योजना अंतर्गत वृक्षारोपण करना चाहता हूँ/चाहती हूँ। मेरी भूमि के संबंध में तथा अन्य जानकारी निम्नानुसार है :–

¼d½ vkosnd dh 0;fDrxr tkudkjh

1. आवेदककानाम :–
2. आधार संख्या :–
3. पिता/माता/पतिकानाम :–
4. आवेदककामोबाईल/दूरभाष नं0 एस0टी0डी कोडसहित :–
5. पत्र व्यवहारका पता :–
6. जाति–सामान्य/अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछडावर्ग :–

¼[k½ vkosnd dh futh Hkwfe ftlesa o{kkjksi.k fd;k tkuk izLrkfor gS] dk fooj.k

7. ग्राम–
8. राजस्वथाना एवंथाना नं0 –
9. अंचल–
10. जिला–
11. खाता नं0 –

12. खेसरा नं0 –

13. रकबा (एकड में) –

¼x½ o{kkjksi.k gsrq tkudkjh

14. रोपण का प्रकार–ब्लॉक वृक्षारोपण / खेत की मेंड पर वृक्षारोपण

15. ब्लॉक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे0 में) / खेत की मेड की लम्बाई (मीटर में)

16. रोपित किये जानेवाले पौधों की प्रजातिवार संख्या –

Ø0l0	dk"B iztkfr	la[;k	Qynkj iztkfr	la[;k
1-				
2-				
dqy				

¼/k½ layXu vko";d nLrkostksa dh lwph

17. भूमि स्वामित्व एवं कब्जा के संबंध में अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन

18. आधारकार्ड की छायाप्रति (यदि सम्भव हो)

19. अनुबंध पत्र

20. बैंक पासबुक की छायाप्रति

21. रद्द की हुईचेक

¼M½ cSad [kkrkfooj.k

22. बैंक क ानाम :–

23. बैंक का पता :–

24. खाता संख्या :–

25- IFSC Code :-

स्थान :–...

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

दिनांक :–...

तथा पूरा पता।

अनुलग्नक–2

vpykf/kdkjh dk ifronu dk ik:i

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

....

....

विषय :–

प्रसंग :– आपका पत्रांक– दिनांक–

महा ाय,

आपके प्रासंगिक प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नभूमि विवरण पर निम्नवत व्यक्ति के स्वामित्व में कब्जा है। अतः उन्हें इस जन–वन योजना के अन्तर्गत पौधे लगाने पर योजना के अनुरूप निर्धारित प्रोत्साहन राि ा का भुगतान किया जासकताहै :–

(1) भूमि का विवरण

जिला–

प्रखण्ड–

ग्राम–

खता–

प्लॉट–

(2) स्वामित्व एवं कब्जा रखनेवाले व्यक्ति का नाम एवं पता जिसे भुगतान करना होगा।

(3) बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code –

अंचलाधिकारी

e[;e=h tu&ou ;ktuk (futh Hkfe ij o{kkjki.k ikRlkgu ;ktuk)
vrxr o{kkjki.k gr vuc/k i=

मैं एतद् घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी सूचनायें सत्य है। पौधे आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करूँगा/करूँगी एवं वन विभाग के सभी निर्देशों का अनुपालन करूँगा/करूँगी। यदि ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है, तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस योजना की सभी शर्त्तों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं इस योजना के अन्तर्गत रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करूँगा/करूँगी तथा परिपक्वता से पहले एवं वन विभाग की अनुमति के बिना इन वृक्षों को नहीं काटूँगा/काटूँगी।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

---

ikfIr jlhn

श्रीमान/श्रीमती .... पिता/माता/पति ....

वन प्रमण्डल का नाम .... वन क्षेत्र का नाम ....

प्रखण्ड का नाम .... जिला का नाम ....

पिन कोड – ....। ''मुख्यमंत्री जन वन योजना'' (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त किया गया, जिसका क्रमांक..................... .... है।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं पदनाम

vuqyXud&4

^^eq[;ea=h tu ou ;kstuk**

(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

futh Hkwfe ij o`{kkjksi.k izksRlkgu dh ;kstuk ds dk;kZUo;u gsrq ftykokj ou izze.My inkf/kdkfj;ksa dh lwph

Øe lå	ftyk dk uke	ou çe.My inkf/kdkjh] ftuds }kjk ;kstuk dk dk;kZUo;u djk;k tk;sxk
1	राँची	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची
2	सिमडेगा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा
3	गुमला	
4	चाईबासा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा
5	सरायकेला–खरसावां	
6	पूर्वी सिंहभूम	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर
7	लतेहार	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार
8	चतरा	
9	गढ़वा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा
10	मेदनीनगर	
11	हजारीबाग	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग
12	रामगढ़	
13	कोडरमा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा
14	गिरीडीह	
15	देवघर	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर
16	जामताड़ा	
17	दुमका	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका
18	पाकुड़	
19	खूँटी	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, चाईबासा
20	गोड्डा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, दुमका
21	साहेबगंज	
22	लोहरदगा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, डालटेनगंज
23	बोकारो	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राँची
24	धनबाद	

vuqyXud&5¼d½

eq[;ea=h tu&ou ;kstuk ¼futh Hkwfe ij o`{kkjksi.k izksRlkgu ;kstuk½

आवेदक द्वारा जीवित पौधों के प्रतिशत संबंधित स्वयं जारी घोषणा–पत्र

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

सामाजिक वानिकी प्रमण्डल / विश्व खाद्य कार्यक्रम ....

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री / श्रीमती .... पिता / माता / पति .... ग्राम .... प्रखण्ड .... जिला .... का निवासी हूँ। मेरे द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि, प्लौट संख्या......................, खाता नं0 / खेसरा नं0 ....(ग्राम...... ....) क्षेत्रफल .... एकड़ में .... (पौधों की संख्या) काष्ठ / फलदार पौधों / रूट–शूट का ब्लॉक / मेड़ पर वृक्षारोपण वर्ष .... कराया गया है, जिसमें .... (पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं / .... रूट–शूट स्थापित हैं। पौधों की औसतन उँचाई .... फीट है। जीवित पौधों के .... उत्तरजीविता प्रतिशत के आधार पर मुझे योजना के अंतर्गत रोपण वर्ष .... की प्रोत्साहन राशि रू0 .... की पात्रता बनती है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि मेरे बैंक खाता संख्या .... बैंक का नाम एवं पता .... बैंक का I.F.S.C. कोड .... में भुगतान करने की कृपा करें। इस खाता से संबंधित पासबुक की छायाप्रति संलग्न है।

vkosnd dk

gLrk{kj

¼iwjk uke½ --

frfFk ---

IR;kiu

निरीक्षण दिनांक ....को................................(पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं। पौधों की औसतन उँचाई ....फीट है। जीवित पौधों का प्रतिशत ....है।

प्रोत्साहन राशि रू.......................................आवेदक के बैंक खाता क्रमांक..बैंक का नाम एवं पता..बैंक का IFSC कोड..में भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

gLrk{kj

सत्यापनकर्त्ता पदाधिकारी का
नाम एवं पदनाम
(दिनांक सहित)

vu|yXud &5¼[k½

i|i=

e|[;e=h tu&ou ;ktuk ¼futh Hkfe ij o{kkjki.k ikRlkgu ;ktuk½
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

सामाजिक वानिकी प्रमण्डल / विश्व खाद्य कार्यक्रम ....

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री / श्रीमती .... पिता / माता / पति .... ग्राम .... प्रखण्ड .... जिला .... का निवासी हूँ। मेरे स्वामित्व की भूमि, खाता नं0 / खेसरा नं0 .... (ग्राम ....) क्षेत्रफल .... एकड़ में .... (पौधों की संख्या) काष्ठ / फलदार पौधों / रूट–शूट का ब्लॉक / मेड़ पर वृक्षारोपण वर्ष .... में मेरे द्वारा कराया गया है। अभी इस प्लॉट पर ....(पौधों की संख्या) जीवित है।

vkosnd dk

gLrk{kj

¼ijk uke½ ---
----

frfFk -----------------------------
----

lR;kiu

निरीक्षण दिनांक ....को...............................(पौधों की संख्या) पौधे जीवित हैं। पौधों की औसतन उँचाई ....फीट है। जीवित पौधों का प्रतिशत ....है।

प्रोत्साहन राशि रू.....................................आवेदक के बैंक खाता कमांक...बैंक का नाम एवं पता...बैंक का I.F.S.C. कोड...में भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है।

gLrk{kj

सत्यापनकर्त्ता पदाधिकारी का
नाम एवं पदनाम
(दिनांक सहित)

>kj[k.M ljdkj

ou ,oa i;kZoj.k foHkkx

;kstuk dk uke &eq[;ea=h tu ou ;kstuk ¼futh Hkwfe ij o`{kkjksi.k izksRlkgu dh ;kstuk½

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमण्डल का नाम :– .... जिला का नाम ....

Øe	iz[k.M dk uke	ou {ks= dk uke	iapk;r dk uke	jktLo xkao ¼Vksyk½	fdlku dk uke ,oa firk uke	[ksr dk jdok ¼,dM+ e½	[kkrk	[ksljk	ikS/kks dh la[;k		ekckbZy la[;k	tkfr
									dk'B	Qynkj		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रा|ची

dk;ky; vkns'k l[;k & 24 jkph&2] **fnukad & 25@4@16**

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या–4/यो. बजट–42/2010–2371 व.प., दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को आयोजित की गई।
समिति द्वारा समीक्षोपरान्त ''मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना'' निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजनाश फलदार प्रजातिश वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा पर प्रधान मुख्य वल संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय एवं गैर–विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली ''मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना'' निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजनाश फलदार प्रजातिश वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

o{kkjksi.k dh vuqlfpr dk;l nj

;kstuk dk uke % **e[;ea=h tu ou fodkl ;kstuk¼futh Hkfe ij o{kkjksi.k izkRlkgu dh ;kstuk½**

ikS/kk dh l[;k izfr ,dM+ % 160 ikS/k ¼Qynkj@ dyeh ikS/k½

etnjh izfr ekuo fnol ¼:Œ e½ % 221-61

Liflx 5 eh- — 5 eh- iztkfr;k¡& dyeh vke] dVgy] veýn] vkoyk] cy] yhph vkfn

ØŒ	dk;l dk fooj.kh	bdkbl	Ekkuo fnol	Ektnjh ¼:Œ e½	Lkexzh ¼:Œ e½	dqy 0;; ¼:Œ e½	çfr ikS/kk 0;; ¼:Œ e½	ykHkqd dk n; çkRlkgu jkf"k
1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	iFke o"kl ¼vfxze dk;l ,o lekiu dk;l½							
1	झाड़ी घेरान (2.5 कृ 6 मानव दिवस)	एकड़ /2.5 चेन	15	3324.15	62.50	3386.65	21.16	10.58
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'कृ 2'कृ2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित	एकड़	26.00	5761.86	0.00	5761.86	36.01	18.00

	स्थल पर संचित करना/160 पौधे प्रति एकड़						
3	पौधों का क्रय /50 रू० प्रति पौधा (परिवहन सहित)/160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	0.00	0.00	8000.00	8000.00	50.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 25 रू० प्रति पौधा की दर से रा ा देय होगी
4	वृक्षारोपण	एकड़	24	5318^{n}61	0.00	5318.64	33.24	16.62
5	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	4.00	886.44	0.00	886.44	5.54	2.77
6	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी
7	समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया, जैविक खाद, किटना ाक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	10.00	5.00
	;kx		**69-00**	**15291-00**	**9662-50**	**24953-59**	**155-95**	**52-97 or Rs. 53.00**
[k	**f}rh; o'k ¼l ik'k.k dk;½**						
1	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	4.00	886.44	0.00	886.44	5.54	2.77
2	समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया, जैविक खाद, किटना ाक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	5.00	2.50
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	10.00	5.00
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी
	;kx		**4-00**	**886-44**	**2400-00**	**3286-44**	**20-54**	**10-27 or Rs. 10.50**
x	**r`rh; o'k ¼l ik'k.k dk;½**						
1	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	4.00	886.44	0.00	886.44	5.54	2.77
2	समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया, जैविक खाद, किटना ाक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	5.00	2.50
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	10.00	5.00
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी
5	घेरान मरम्मती/25 चेन प्रति एकड़	एकड़	2.5	554.03	0.00	554.03	3.46	1.73
	;kx		**6-5**	**1440-47**	**2400-00**	**3840-47**	**24-00**	**12-00**
	dqy ;kx		**79-50**	**17618-00**	**14462-50**	**32080-50**	**200-50**	**75-50**

vij iènku e|[; ou l|j{kd] fodkl
>kj[k.M] jk|ph

Kkikd & 592 fnukd & 25@4@16

ifrfyfi %

1- iènku lfpo] ou i;koj.k ,o tyok;| ifjorlu foHkkx] >kj[k.M ljdkj
2- iènku e|[; ou l|j{kd] >kj[k.M] jk|ph
3- iènku e|[; ou l|j{kd] tlo fofoèkrk l|j{kd ,o e|[; oU; i|k.kh ifrikyd] >kj[k.M] jk|ph
4- iènku e|[; ou l|j{kd&lg&dk;ldkjh fun'kd] cti Hkfe fodkl i"kn] >kj[k.M] jk|ph
5- lHkh vij iènku e|[; ou l|j{kd
6- lHkh e|[; ou l|j{kd
7- lHkh {k=h; e|[; ou l|j{kd
8- lHkh ou l|j{kd
9- lHkh ou ie.My inkfèkdkjh
10- bfUol dUn] >kj[k.M dk foHkkxh; oclkbV ij Mkyu grq dk lpukFkl ,o vko';d dkjokbl grq

ifr"krA

vij iènku e|[; ou l|j{kd] fodkl
>kj[k.M] jk|ph

कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रा|ची

'kf) i=

dk;kZy; vkns'k l[;k & 35 jkph&2] fnukd & 2@5@16

इस कार्यालय के आदेश संख्या 23 दिनांक 25.04.16 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु राज्य स्तरीय गठित स्थाई समिति की अनुशंसा के आलोक में नया संशोधित दर निर्धारित किया गया था। योजना सूत्रण के क्रम में पाया गया कि दर तालिका के क्रम संख्या कश – 1 के कॉलम 9, क्रम संख्या खश – 1 के कॉलम 4 और क्रम 3 के कॉलम 5 एवं क्रम संख्या गश – 1 के कॉलम 4 और क्रम 3 के कॉलम 5 में टंकण भूलवश राशि में त्रुटि हो गई है, जिसे सुधार कर इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त निर्गत आदेश संख्या 23 दिनांक 25.04.16 में उपरोक्त वर्णित संख्या में आंशिक संशोधन कर नया संशोधित दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :

o`{kkjki.k dh vuqlfpr dk;Z nj

<u>;kstuk dk uke % **e[;ea=h tu ou fodkl ;kstuk¼futh Hkwfe ij o`{kkjki.k ikS/kjksi.k dh ;kstuk½</u>**

ikS/kks dh l[;k izfr ,dM+ % 445 ikS/ks ¼dk"B iztkfr;ks dk oujksi.k½

etnwjh izfr ekuo fnol ¼:Œ eas½ % 221-61

Lifilx 3 eh- — 3 eh- ,oa eM+ ds fdukjs 2 eh0 — 2 eh- vkfn

iztkfr;k&'kh'ke] lxoku] xEgkj] egkxuh] Dykuy] ;wdsfyIVl] ,dsfl;k

ØŒ	dk;Z dk fooj.k	bdkbZ	Ekkuo fnol	Ek tnwjh ¼:Œ eas½	Lkexh ¼:Œ eas½	dqy 0;; ¼:Œ eas½	çfr ikS/kk 0;; ¼:Œ eas½	ykHkqd dks ns; çksRlkgu jkf"k
1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	iFke o"kZ ¼vfxze dk;Z ,oa lekiu dk;Z½							
1	मृदा कार्य (0.3 मी. कृ 0.3 मी. कृ 0.3 मी.) 0.027 क्यू0 मी0 445 पीट प्रति एकड़ (संरेखन सहित)	एकड़ /2.5 चेन	10.00	2216.00	0.00	2216.00	4.98	2.49
2	झाड़ी घेरान (2.5 कृ 6 मानव दिवस)	एकड़ /2.5 चेन	15.00	3324.15	62.50	3386.65	7.61	3.81
3	पौधों का क्रय /50 रू० प्रति पौधा	एकड़	0.00	0.00	8900.00	8900.00	20.00	पौधे विभागीय स्तर से

	(परिवहन सहित)/160 पौधे प्रति एकड़							उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 10 रू० प्रति पौधा की दर से राि ा देय होगी
4	वृक्षारोपण	एकड़	10.00	2216.00	0.00	2216.10	4.98	2.49
5	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	11.00	2437.71	0.00	2437.71	5.48	2.74
6	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी
7	समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया, जैविक खाद, किटना ाक आदि)	एकड़	0.00	0.00	700.00	700.00	1.57	0.79
	;kx		**46-00**	**10194-06**	**9662-50**	**19856-56**	**44-62**	**12-31 or Rs. 12.50**
[k	**f}rh; o'kZ ¼lfiks'k.k dk;Z½**							
1	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	6.00	1329.66	0.00	1329.66	2.98	1.49
2	समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया, जैविक खाद, किटना ाक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.79	0.39
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	10.00	5.00
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी
	;kx		**6-00**	**1329-66**	**4800-48**	**6130-11**	**13-77**	**6-88 or Rs. 7.00**
x	**r`rh; o'kZ ¼lfiks'k.k dk;Z½**							
1	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	6.00	1329.66	0.00	1329.66	2.98	1.49
2	समग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी.ए.पी./यूरिया, जैविक खाद, किटना ाक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.79	0.39
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	10.00	5.00
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक द्वारा की जायेगी
5	घेरान मरम्मती/25 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.00	664.83	0.00	664.83	1.49	0.75
	;kx		**9-00**	**1994-49**	**4800-45**	**6794-94**	**15-26**	**7-630**
	ldy ;kx		**61-00**	**13518-21**	**19263-40**	**32781-61**	**73-65**	**27-50**

vij iz/kku e[; ou laj{kd] fodkl
>kj[k.M] jkaph

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रा|ची

dk;kZy; vkns'k l[;k & 43 jkaph&2] **fnukad & 27@6@16**

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिसूचना संख्या–4/यो. बजट–42/2010–2371 व. प., दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

समिति द्वारा निर्धारित कार्य दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना अगले पुनरीक्षण तक लागू रहेगी।

o{kkjksi.k dh vuqlwfpr dk;Z nj

;kstuk dk uke % **eq[;ea=h tu ou fodkl ;kstuk**¼futh Hkwfe ij o{kkjksi.k iksRlkgu dh ;kstuk½

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)
160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू० में) : 221.61

फलदार प्रजाति हेतु स्पेसिंग 5 मी. कृ 5 मी. — फलदार प्रजातियाँः– कलमी आम, कटहल, अमरूद, आँवला, बेल, लीची आदि

काष्ठ प्रजाति हेतु स्पेसिंग 3 मी. कृ 3 मी. एवं क्लोनल, मेड़ के किनारे 2 मी. कृ 2 मी. — काष्ठ प्रजातियाँः– शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

ØE	dk;Z dk fooj.kh	bdkbZ	Ekkuo fnol	Ekt nwjh ¼:Œ esa½	Lkexzh ¼:Œ esa½	dqy 0;; ¼:Œ esa½	çfr ik/kk 0;; ¼:Œ esa½	ykHkqd dks ns; çksRlkgu jkf"k
1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	iFke o"kZ ¼vfxze dk;Z ,oa lekiu dk;Z½							
1	मशीन द्वारा ट्रैंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43. 1 से 9.1 प्रति ात संवेदन लाभ घटाकर दर)	प्रति चेन	2	374.86	1963.79	2338.68		एक पैच (patch) में 5 एकड़ या 5 एकड़ से अधिक जमीन होने पर ट्रेंच घेरान की अनुमति होगी। तथा 5 एकड़ के लिए अधिकतम 30 चेन या वास्तविक कार्य के आधार पर ही राशि देय होगी जिसका 50 प्रतिशत व्यय का अनुदान वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

नोट :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची के कार्यालय आदेश संख्या 35 दिनांक 02. 05.2016 द्वारा काष्ठ प्रजाति के पौधे एवं आदेश संख्या 24 दिनांक 25.04.2016 द्वारा कलमी प्रजाति के पौधे के वनरोपण कार्य दर में उपरोक्त कार्य दर को सम्मिलित किया जाता है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक – 877 दिनांक – 27/6/16

ifrfyfi %

1. प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षक एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची